न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रंजना,
आर.जे.एस.

फौजदारी नंबरी प्रकरण संख्याः – 546/2023

एफआईआर संख्याः – 79/2023, महिला थाना झुंझुनूं

अन्तर्गत धारा 498A, 406 भारतीय दण्ड संहिता

सरकार बनाम विनोद कुमार

सी.आई.एस. नंबर – Cr. Reg. Case/2392/2023

CNR No. RJJH020044482023

निर्णय दिनांक – 24.03.2026

भाग–प्रथम A

परिवादी	श्रीमती सविता डांगी पत्नी विनोद कुमार पुत्री दयानंद सिंह, उम्र 38 साल, निवासी हंसासर, पुलिस थाना धनूरी हाल आबाद बीबासर, थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	विनोद कुमार इंद्रपाल सिंह, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम हंसासर, थाना धनूरी, जिला झुंझुनूं।
अधिवक्ता परिवादिया अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कमलेश झाझड़िया श्री मंदरूप सिंह

B

अपराध की दिनांक	17.02.2009 के पश्चात्
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.10.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	02.11.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	02.11.2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	21.02.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–
निर्णय दिनांक	24.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	**विनोद कुमार**	––	––	498 ए IPC	संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त	––	–
				406 IPC	बरूए राजीनामा दोषमुक्त		

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी.डब्ल्यू 1	श्रीमती सविता	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 2	दयानंद सिंह	अन्य गवाह
पी.डबल्यू 3	श्रीमती पतासी देवी	अन्य गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 3	गवाह सविता के बयान धारा 161 सीआरपीसी
04	प्रदर्श पी 4	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन
05	प्रदर्श पी 5	विवाह में दिए गए सामान की सूची
06	प्रदर्श पी 6	गवाह दयानंद सिंह के बयान धारा 161 सीआरपीसी
07	प्रदर्श पी 7	गवाह पतासी देवी के बयान धारा 161 सीआरपीसी

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/परिवादिया श्रीमती सविता ने दिनांक 03.10.2023 को महिला पुलिस थाना झुंझुनूं में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी शादी दिनांक 17.02.2009 को विनोद कुमार के साथ उसके गांव बीबासर में सम्पन्न हुई। शादी में दहेज हेतु उसके पिता ने हैसियत से अधिक खर्चा कर तथा फर्नीचर, कपड़े, जेवरात, नगद दिये थे, परन्तु उसके ससुर व पति इससे खुश नहीं हुए। वह शादी से पहले से ही अध्यापिका पद पर कार्यरत है। उसने अपने पति को समझाया कि अपना काम अपने कमाने से चलेगा तो वे कुछ समय के लिये शांत हुये, परन्तु बाद में उसका पति व उसके ससुराल वाले परिवादिया का पूरा वेतन लेते थे तथा अपने पिता से और नगद लाने की डिमांड करते तथा मारपीट व धमकाते। उनके दिनांक 28.11.2012 को एक पुत्री कनिष्का व दिनांक 28.11.2014 को एक पुत्र गर्वित पैदा हुये। पुत्र के दशोठन के समय उसके पिता ने हैसियत से ज्यादा नगद, दहेज, जेवर दिये, परन्तु उसके पति व ससुरालवालों ने फिर से मारपीट की। उसका पुरा वेतन ससुर व पति ले लेते और उसके व बच्चों के खर्च के लिये पिता से नगद लाने को कहते थे। जून 2021 में उसने बच्चों के भविष्य के लिए वेतन देने से मना कर दिया तथा अपने पिहर पक्ष से पैसे लाने से मना कर दिया तो उसके पति व ससुर ने 6 जून 2021 को मारपीट करके उसे व बच्चों को घर से निकाल दिया तथा नाक, कान, हाथ के सभी गहने निकाल लिये। उसका स्त्रीधन, सामान, शैक्षिक व सेवा दस्तावेज सभी आज भी पति व ससुर के कब्जे मे हैं। निवेदन के बाद भी उन्होंने देने से मना कर दिया। उसका पति व ससुर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 06.06.2021 से वह अपने पिता के घर अपने बच्चों के साथ रह रही है वगैरह वगैरह...। उक्त रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना झुंझुनूं में अभियोग संख्या 79/2023 धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में कायम कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त विनोद कुमार के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

2– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

4– यहां यह उल्लेख किया जाना न्यायोचित है कि दौराने विचारण दिनांक 12.03.2026 को परिवादिया श्रीमती सविता व अभियुक्त विनोद कुमार के द्वारा धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में बाद अनुमति राजीनामा पेश किये जाने पर राजीनामा पुश्त पर तस्दीक

किया गया व अभियुक्त को धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप शेष है।

5– अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना व राजीनामा हो जाना जाहिर किया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

6– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध शेष आरोप को साबित करने बाबत कोई सारभूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7– चूंकि पत्रावली में पक्षकारों के मध्य धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा तस्दीक हो चुका है। अतः न्यायालय को अब केवल शेष आरोप धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता बाबत ही साक्ष्य को देखा जाना है। अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.02.2009 को विवाह के पश्चात से लगातार प्रार्थीया श्रीमती सविता के पति की हैसियत से दहेज में नगद रूपयों की मांग की व उक्त दहेज की मांग की पूर्ति हेतु प्रार्थीया को तंग–परेशान व प्रपीड़ित कर क्रूरता कारित की?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 03 गवाहान को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया है। उक्त विचारणीय बिन्दु को अभियोजन को संदेह से परे साबित करना था। हस्तगत प्रकरण परिवादिया श्रीमती सविता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर संस्थित किया गया है। सर्वप्रथम उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन करें तो गवाह श्रीमती सविता ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.01 के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 17.02.2009 को विनोद कुमार के साथ हुई थी। विवाह के बाद उसके पति विनोद की उसके साथ कहासुनी हो गई व मन–मुटाव हो गया था, जिस बाबत् उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके पति विनोद ने उससे कभी भी दहेज की मांग नहीं की, ना ही उसे कभी प्रताड़ित किया। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। **दौराने प्रतिपरीक्षा अभियोजन अधिकारी** गवाह उसके द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02, फर्द जब्ती स्त्रीधन व सुपुर्दगी प्रदर्श पी–04 व विवाह में दिए गए सामान की सूची प्रदर्श पी–05 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना जाहिर करते हुए कथन करती है कि उसने प्रदर्श पी–01 में उसके पति विनोद कुमार व ससुराल वालों द्वारा रूपये मांगने व प्रताड़ित करने की बात आवेष में आकर लिखवा दी थी।

गवाह यह भी जाहिर करती है कि उसके पति विनोद कुमार व उसके परिवारवालों ने कभी भी उससे कोई नगदी या दहेज की मांग नहीं की, ना ही उसे प्रताड़ित किया। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–03 का ए से बी भाग भी पुलिस को देने से इंकार करती है। गवाह अभियुक्त से राजीनामा होना जाहिर करती है। गवाह इस सुझाव को गलत बताती है कि प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियुक्त को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रही हो।

इस प्रकार उक्त गवाह जो स्वयं परिवादिया है, वह पक्षद्रोही हुई है और उसने अपनी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दर्ज करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट की बिलकुल भी ताईद नहीं की है, ना ही उसने अभियुक्त के द्वारा उसके साथ दहेज की मांग किए जाने व दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर मारपीट आदि किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य दी है।

9– प्रकरण में अन्य गवाह पी.डबल्यू–02 दयानंद सिंह व पी.डब्ल्यू.–03 श्रीमती पतासी देवी जो क्रमशः परिवादिया के पिता व माता हैं ने एक समान कथन करते हुए न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि उनकी पुत्री सविता की शादी के बाद सविता व उसके पति विनोद के मध्य कहासुनी व मनमुटाव हो गया था, जिस बाबत् सविता ने मुकदमा दर्ज करवाया था और सविता के पति विनोद ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की और ना ही सविता को प्रताड़ित किया तथा ना ही सविता ने इस संबंध में उन्हें कुछ बताया था। उक्त गवाहान भी पक्षद्रोही हुए है, जिन्होंने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–06 व 07 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना, अभियुक्त का परिवादिया के साथ राजीनामा हो जाना जाहिर किया है। गवाहान इस सुझाव को गलत बताते है कि राजीनामा होने के कारण वे झूठे बयान दे रहे हो।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं तथा यही जाहिर करते है कि परिवादिया सविता से विनोद कुमार ने कोई दहेज की मांग नहीं की, ना ही उसके साथ मारपीट की, ना ही उसे प्रताड़ित किया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में उक्त गवाहान ने कोई कथन नहीं किये है।

10. उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में अहम गवाह स्वयं परिवादिया श्रीमती सविता ने न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में उसके व उसके पति के मध्य घरेलू बातों को लेकर मन–मुटाव हो जाना बताते हुए उसके पति व ससुरालवालों के द्वारा उसे दान–दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से इंकार करती है और मनमुटाव व आवेश में आकर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दर्ज करवा देना जाहिर करती है। न्यायालय में परीक्षित अन्य गवाहान ने भी इसी प्रकार की साक्ष्य देते हुए अभियुक्त के द्वारा परिवादिया के साथ किसी भी प्रकार की दहेज की मांग करना या उसे प्रताड़ित करना नहीं बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तीनों गवाहान पक्षद्रोही हुए है, जिन्होंने अभियोजन की कहानी का बिलकुल भी समर्थन नहीं किया है।

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.02.2009 को विवाह के पश्चात से लगातार प्रार्थीया श्रीमती सविता के पति की हैसियत से दहेज में नगद रूपयों की मांग की व उक्त दहेज की मांग की पूर्ति हेतु प्रार्थीया को तंग–परेशान व प्रपीड़ित कर क्रूरता कारित की। अतः अभियुक्त को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

12. परिणामतः अभियुक्त विनोद कुमार इंद्रपाल सिंह, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम हंसासर, थाना धनूरी, जिला झुंझुनूं को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त को धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध में पूर्व में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. हस्तगत प्रकरण में परिवादिया के पक्षद्रोही होने, उसका अभियुक्त से राजीनामा होने एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादिया को हस्तगत प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा स्त्रीधन थाने से ही परिवादिया को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है।

15. अभियुक्त धारा **437A** दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के मुचलके प्रस्तुत करे कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वे स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू

16. निर्णय आज दिनांक **24.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

NAGENDRA VINOD KUMAR PUROHIT
Digitally signed by NAGENDRA VINOD KUMAR PUROHIT
Date: 2026.03.26 10:41:03 +0530

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू